फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम अमित जिन्दल वगै0

मुकदमा नं0 :– 276/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.09.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उप0 व प्रतिवादी सं0 3 ने पत्रावली में दिनांक 25.08.2025 को जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल। जिस पर मौके रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को पत्र लिखा गया। तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 15.09.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	15.09.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी की सं. 3 की ओर से एड0 श्री दिनेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा। जो शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजि0 ए0डी0 भिजवाये जाने की समग्र सूचना होने पर उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं0 3 की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 16.09.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	16.09.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं0 3 उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी सं0 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि को निरस्त करने बाबत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह मिथ्यापूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अतः उक्त वादांकित भूमि का उपयोग अकृषि कार्यो में नही किया जा रहा है। वर्तमान में पेड पौधें व कृषि अनवरत चालु है। अतः प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावें। पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवरामगढ) मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 1.57है0 के संबंध में वर्तमान मौका व राजस्व रिकार्ड की जॉच करवाई गई। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम चावण्ड का मण्ड में स्थित आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 1.57है0 किस्म चाही 1 में स्थित है। उक्त वादांकित भूमि का खातेदारों के के समक्ष मौका देखा गया। जिसके चारों तरफ पक्की चार दीवारी की हुई है तथा चार दीवारी के पास ऑवला एवं कैरन्ज के पेड पौधे लगे हुए है एवं उत्तरी पूर्वी भूजा पर एक पक्का मकान बना हुआ है। इस मकान के पास में एक और मकान बना हुआ है। जो आधा तोडा हुआ है। मौके पर डाली गई रोडो को मौके से हटा लिया गया और हल चलाकर वापस कृषि योग्य कर लिया गया है तथा कृषि कार्य किया जा रहा है। वर्तमान मे अकृषि कार्य उपयोग में	

Scanned with OKEN Scanner

नही लिया जा रहा है। जिसमें संबंध में प्रतिवादीगणों ने शपथ पत्र भी पेश किया है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट ,फोटोग्राफ एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 1.57है0 पर अप्रार्थीगण/खातेदार द्वारा कृषि से गैर कृषि कार्य में उपयोग नही किया जा रहा है। जिसके संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner